1	विभाग	ग्राम्य विकास
2	योजना का नाम –	प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण।
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	इस योजना का मुख्य उददेश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आवासविहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु अनुदान के रूप में धन उपलब्ध कराना है । आवास निर्माण हेतु धनराशि लाभार्थी के बैक खाते में सीधे हस्तान्तरित की जाती है । योजनान्तर्गत स्वीकृत लाभार्थियों का धनराशि का आवंटन 3 किस्तों में एफ0टी0ओं0 के माध्यम से उनके व्यक्तिगत एकाउन्ट में विकास खण्ड के द्वारा स्थानान्तरित की जाती है। नवीनतम निर्देशानुसार प्रथम किश्त में 40000/– जिससे आवास का निर्माण प्लिंथ लेवल होने के पश्चात द्वितीय किश्त रू0 70000/– तथा आवास का निर्माण छत पडने व प्लॉस्टर होने के पश्चात तृतीय किश्त रू0 10000/– की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी । धनराशि की अवमुक्ति एम0आई0एस0 पर आवास निर्माण कार्य की जी0ओ0 टेगिंग एवं वेरिफिकेशन के उपरान्त की जायेगी। आवास महिला के नाम अथवा पति /पत्नी के संयुक्त नाम से आवंटित किया जायेगा मनरेगा से 90 दिन की सीमा तक कन्वर्जेन्स की व्यवस्था की गयी है । स्वच्छ भारत मिशन/मनरेगा के अन्तर्गत शौचालय के निर्माण हेतु रू0 12000 की धनराशि प्रदत्त किये जाने का प्राविधान है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत बिजली का कनेक्शन तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत एल0पी0जी0 कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्राविधान है।
4	पात्रता की अर्हता–	चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गयी आवास हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार किया जाता है ।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	उपरोक्तानुसार विकास खण्ड के माध्यम से।
6	लिंक वेबसाईट	http://rd.up.nic.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा जनपद के परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 से सम्पर्क किया जा सकता है ।